



2026: AHC: 50084

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 5446, वर्ष 2025

श्रीमती शांति सिंह एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अजय कुमार शर्मा, अतुल शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान **अधिवक्ताओं** को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-
 - i. एक रिट, आदेश या निर्देश, जो कि परमादेश की प्रकृति में हो, जारी कर चकबंदी अधिकारी, कीरतपुर, जिला-जौनपुर (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिकॉल आवेदन दिनांक 26.9.2022, वाद संख्या 588/रिकॉल वर्ष 2022 (राज्य बनाम भगवंत एवं अन्य) का निस्तारण, कानून के अनुसार इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्पावधि के भीतर शीघ्रता से करे;
 - ii. एक रिट, आदेश या निर्देश, जो कि परमादेश की प्रकृति में हो, जारी कर चकबंदी अधिकारी, कीरतपुर, जिला-जौनपुर (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 588 (राज्य बनाम भगवंत एवं अन्य) और उससे जुड़े सभी मामलों का निस्तारण, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए(2) के तहत, गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्पावधि के भीतर शीघ्रता से करे।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान स्थायी **अधिवक्ता** को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामलों को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपर्युक्त मामलों का शीघ्रता से निर्णय ले।
5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

11 मार्च, 2026

सुषमा

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।